बड़ी कार्रवाई. कंपनी ग्राहकों से वसूल चुकी है छह करोड़ रुपये

रेरा ने फ्रीज किया पल्लवी राज का बैंक खाता, भूमि पूजन पर भी रोक

आदेश

संवाददाता ▷ पटना

रेरा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है. साथ ही निर्माण कंपनी के मालिक को निर्देश दिया गया है कि वो सगुना मोड़ के पास बनने वाले गोवा सिटी अपार्टमेंट का भूमि पूजन नहीं करें. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को लुभाने वाले ऑफर बंद करें, ग्राहकों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाये. गुरुवार को रेरा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को पल्लवी कंस्ट्रक्शन के मालिक रेरा के समक्ष प्रस्तुत हुए, रेरा के अधिकारी ने बताया कि निर्माण कंपनी को 18 मार्च तक का समय दिया गया है. नोटिस के जवाब के बाद 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी. रेरा के अनुसार पल्लवी कंस्ट्रक्शन 2018 के सितंबर-अक्तूबर की कंपनी है. बगैर रेरा से निबंधन के ही कंपनी ने पहले भी बुकिंग का विज्ञापन जारी किया था. इस पर पहले भी रेरा की ओर से निर्माण कंपनी को नोटिस दिया जा चुका है. कंपनी बगैर रेरा पंजीकरण के ग्राहकों से छह करोड़ 31 लाख वसूल चुका है.

6.31

करोड़ रुपये वसूल चुकी है कंपनी ग्राहकों से बगैर रेरा पंजीकरण के. कंपनी को नोटिस दिया जा चुका है

2018

की कंपनी है पल्लवी कंस्ट्रक्शन. कंपनी ने पहले भी बुकिंग का विज्ञापन जारी किया था

एग्रीमेंट नहीं करने के निर्देश

रेरा ने गुरुवार को आम ग्राहकों के ठगे जाने से बचाने के लिए सगुना मोड़ के पास रूपसपुर में क्षेत्र में एक अवैध तरीके से बनाये जाने वाले अपार्टमेंट निर्माता पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया था. कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि बगैर रेरा से पंजीकरण किये अखबार में गलत रेरा पंजीकरण नंबर से विज्ञापन दिया गया है. साथ ही भ्रामक प्रचार से ग्राहकों को लुभा कर पैसा ठगने का प्रयास है. जबकि, नियमानुसार बगैर रेरा पंजीकरण के फ्लैट बुकिंग के लिए विज्ञापन निकालना गैर कानूनी है. इस पर निर्माण कंपनी के मालिक को तीन साल की सजा व संपत्ति के दस फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान है. पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन रेरा पंजीकरण नंबर के बदले अपने आवेदन नंबर विज्ञापन में प्रकाशित कर लोगों को भ्रमित कर रहा था.

विधान परिषद में भी उठा मामला

विधान परिषद में भी पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन की धोखाधड़ी वाले विज्ञापन पर सवाल उठाया गया. शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन धोखाधड़ी वाले विज्ञापन को प्रकाशित कर रहा है. अखबारों के विज्ञापन में सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं के नाम भी छापे गये हैं. गोवा सिटी के भूमिपूजन के दिन डिप्टी सीएम से लेकर कई मंत्रियों का नाम भी विज्ञापन में छपा है, ताकि आमलोग भ्रमित होकर ठगी का शिकार हो जाएं. हम रेरा को धन्यवाद देते हैं कि रेरा अधिकारियों ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. मंत्री व नेताओं को भी इस पर सावधानी बरतनी चाहिए.

लगन के कपड़े खरीदने से पहले JALANSHOP अवश्य पधारें

प्रभात खबर
Sat, 27 February 2021
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/58727559

Scanned with CamScanner